ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।
आर0 ई0 वाद सं0–30 / 2017–18

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3

आदेश

प्रस्तुत आर0 ई0 वाद सं0–30 / 2017–18 (आरीफ मियां–बनाम–अताउल मियां एवं अन्य) आवेदक–आरीफ मियां, पिता–स्व० मंगली मियां, साकिन–पिपरा, अंचल–मारगोमुण्डा, जिला–देवघर के द्वारा मौजा–पिपरा, थाना नम्बर–467, जमाबंदी नम्बर–59, दाग नम्बर–103, रकवा–25 डी0 जमीन से विपक्षी–अताउल मियां एवं अन्य को उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है।

2. प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा के पत्रांक–243 / रा0, दिनांक–10.08.2018 एवं पत्रांक–397 / रा0, दिनांक–13.11.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है।

3. विपक्षीगण का कथन है कि उक्त भूमि घरेलु बदलनामा स्वरूप प्राप्त हुआ है, जिसपर हमलोग लगभग 30 वर्षो से मकान बनाकर बसोबास कर रहे हैं। उक्त भूमि के बदले में विपक्षीगण द्वारा इसी मौजा में जमाबंदी नं0–52, दाग नम्बर–445, रकवा–22 डी0 जमीन बदलेन स्वरूप दिया गया है, जिसपर आवेदक के चाचा यासीन मियां द्वारा खेती किया जा रहा है। उक्त भूमि से संबंधित दाखिल आपत्ति वाद सं0–1639 / 2021 बन्दोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में चल रहा है। अतः उक्त वाद खारिज करने योग्य है।

4. अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–पिपरा, थाना नम्बर–467, जमाबंदी नम्बर–59, दाग नम्बर–103, रकवा–25 डी0, किस्म–बाड़ी ऑवल, जेनुल मियां वो जवादली मियां वो भुटु मियां वो मटू मियां पोता रैयत हसनु मियां के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत जेनुल मियां का पोता है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण तीनों भाई संयुक्त रूप से अपना मकान बनाकर लगभग 30 वर्षो से सपरिवार बसोबास करते आ रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि घरेलु बदलनामा स्वरूप प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि के बदले में विपक्षीगण द्वारा इसी मौजा में जमाबंदी नं0–52, दाग नम्बर–445, रकवा–22 डी0 जमीन बदलेन स्वरूप दिया गया है, जिसपर आवेदक के चाचा यासीन मियां द्वारा खेती किया जा रहा है। आवेदक के चाचा यासीन मियां द्वारा बताया गया कि

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
24.07.24	इस भूमि के बदले आवेदक को आपसी बंटवारे में सटा मौजा–खरजोरी में भूमि प्राप्त हुआ है, जिसपर अपना मकान बनाकर बसोबास कर रहे हैं। उक्त मामला पारिवारिक बंटवारा से संबंधित प्रतीत होता है। 5. आवेदक के चाचा यासीन मियां ने दाखिल शपथ पत्र सं0–Vol No.- Sl.-2628 दिनांक–25.03.2019 द्वारा उल्लेखित किया गया है कि आवेदित भूमि विपक्षी को घरेलु बदलनामा स्वरूप प्राप्त हुआ है। विपक्षी से प्राप्त भूमि पर मेरे द्वारा खेती किया जा रहा है। इस भूमि के बदले में आवेदक को आपसी बंटवारे में सटा मौजा–खरजोरी में भूमि दिया गया है, जिसपर अपना मकान बनाकर बसोबास कर रहे हैं। अतः उक्त वाद खारिज करने योग्य है। 6. उभय पक्षों को सुना, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदित भूमि विपक्षी को घरेलु बदलनामा स्वरूप प्राप्त हुआ है, जिसका विधिवत बदलेन नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा उक्त भूमि से संबंधित आपत्ति वाद सं0–1639/2021 बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में दाखिल किया गया है। 7. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त वाद की भूमि का स्वत्व निर्विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में उच्छेदी संबंधी कोई भी आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं शुद्धित** 24/07/24 अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर। 24/07/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.08.14 16:58:59 +05:30
Location: 192.168.29.15